



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 451 वर्ष 2026

अयोध्या प्रसाद यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार मिश्रा, रश्मि उपाध्याय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा एवं राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे प्रधान सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 30.04.2017 को सेवानिवृत्त हुआ तथा उसकी अन्तिम वेतन मूल वेतन ग्रेड 46,00/- रुपये थी, तथापि रिट याचिकाकर्ता को 46,00/- रुपये के आधार पर पेंशन नहीं दी गई।

3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता का दावा तृतीय प्रत्यर्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर द्वारा निश्चित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बार में प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है तथा रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तृतीय प्रत्यर्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर के समक्ष **30.01.2026** तक प्रस्तुत करे। तत्पश्चात्, तृतीय प्रत्यर्थी दो मास के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

19.01.2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।